संख्या–वे0आ0–2–394/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
अल्प संख्यक कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में अल्प संख्यक कल्याण विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा अल्प संख्यक कल्याण विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(2) मण्डलीय अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी का पदनाम उप निदेशक रखा जाय।

(3) विभाग के मुख्यालय में विद्यमान उप निदेशक के 02 पदों को संयुक्त निदेशक पदनामित करते हुए वेतनमान रू0 12000–16500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय तथा भविष्य में इन पदों को उप निदेशक (पूर्व पदनाम मण्डलीय अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी) के पदों से पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

(4) वक्फ निरीक्षक के पदों पर रू0 5000–8000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300– 34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। वक्फ निरीक्षक के पदों पर वर्तमान में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता स्नातक को यथावत् रखते हुए इन्हें शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

(5) ज्येष्ठ वक्फ निरीक्षक एवं मुख्य वक्फ निरीक्षक के पदों को संविलीन कर मुख्य वक्फ निरीक्षक पदनाम से पद रखे जायें तथा इन पदों पर वेतनमान रू0 6500–10500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। मुख्य वक्फ निरीक्षक के पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले वक्फ निरीक्षक के पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

(6) सर्वे कमिश्नर वक्फ के अधीन विद्यमान सहायक वक्फ आयुक्त के दो पदों में से एक पद को उपायुक्त पद वेतनमान रु0 10000–15200 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/– के स्तर में उच्चीकृत किया जाय।

(7) विभाग में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(8) विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–394(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।